

कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन भोपाल 462004

क्रमांक- 252/104/आउशि/बजट/2020
प्रति,

भोपाल, दिनांक 15/2/2021

प्राचार्य,
शासकीय महाविद्यालय, (नीचे दर्शाये अनुसार)
मध्यप्रदेश

विषय-योजना क्रमांक "7135-नवीन संकाय खोलने हेतु अनुदान" योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए बजट आबंटन संबंधी।

उपरोक्त विषय में योजना क्रमांक "7135-नवीन संकाय खोलने हेतु अनुदान" योजना अन्तर्गत निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनकी मांग के परिप्रेक्ष्य में महाविद्यालय में शासन द्वारा प्रारंभ किये गये नवीन संकाय के सुचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यक सामग्री एवं कार्यों के लिए उपलब्ध बजट एवं छात्र संख्या के आधार पर अनुपातिक रूप से उनके नाम के समक्ष अंकित अनुसार बजट आबंटन स्वीकृत किया जाता है:-

SNo	Name of College	Place	District	Letter No. & Date	Allotment Amount Rs.	Segment Code
1	Govt College	Badamalehra	Chhatarpur	46/03.02.21	250000	0101
2	Govt College	Sirali	Harda	17/01.02.21	200000	0101
3	Govt College	Jaitwara	Satna	599/27.01.21	200000	0102
	Total				650000	

(2) उपरोक्त आबंटित राशि का आहरण वित्तीय वर्ष 2020-21 के अन्तर्गत महाविद्यालय के समक्ष अंकित सेगमेंट कोड में निम्नलिखित बजट शीर्ष में विकलनीय होगा :-

44-2202-03-103-0101-7135-42-004 -उच्च शिक्षा सामान्य
44-2202-03-103-0102-7135-42-004-आदिवासी उपयोजना-सब स्कीम
44-2202-03-103-0103-7135-42-004-अनुसूचित जाति उपयोजना-सब स्कीम

(3) वित्त विभाग द्वारा व्यय हेतु मासिक एवं त्रैमासिक व्यय सीमा निर्धारित की गई है। अतः आबंटित राशि का आहरण/भुगतान यथाशीघ्र किया जाना सुनिश्चित किया जावे ताकि राशि लैप्स होने की स्थिति निर्मित न हो सके।

(4) मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के परिपत्र क्र.एल. 1-10/951/2020/ब-7/डीएमसी/चार,दिनांक 27 जुलाई 2020 के निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावे। परिपत्र की प्रति वित्त विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।


(5) सामग्री क्रय एवं राशि के व्यय/भुगतान करते समय मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग, एवं प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी अद्यतन निर्देशों एवं म.प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जावे।

(6) क्रय सामग्री एवं व्यय राशि का विधिवत अभिलेख संधारण किया जावे एवं गुणवत्ता आदि का परीक्षण कर प्रमाण पत्र अंकित किया जावे।

(7) नवीन संकाय के संचालन हेतु प्राथमिक आवश्यकता अनुसार सामग्री का क्रय/व्यय किया जावे। मितव्ययता का ध्यान रखें एवं किसी भी मद में अनावश्यक व्यय नहीं किया जावे।

(8) किसी भी स्थिति में आबंटित राशि से अधिक व्यय नहीं किया जाए।

(9) किसी भी प्रकार के अनियमित व्यय/भुगतान की जिम्मेदारी संबंधित प्राचार्य की होगी।
"आयुक्त उच्च शिक्षा द्वारा अनुमोदित"


(डॉ. पूर्णमा साईदवाल)


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश



पृ0क0- 253 / 104 / आउशि / बजट / 2020
प्रतिलिपि-

भोपाल, दिनांक- 15/2/2021

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर ।
2. समस्त संबंधित क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश।
3. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, योजना शाखा, कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा भोपाल
4. प्राचार्य, संबंधित शासकीय अग्रणी महाविद्यालय, मध्यप्रदेश
5. समस्त संबंधित कोषालय/उपकोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश।
...की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (पी.एल.)
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश

